न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./3294/2005/चित्तोडगढ

1—पन्नालाल दत्तक पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति ब्राहमण
2—चुन्नीलाल पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति ब्राहमण
3—गणपत लाल पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति ब्राहमण
निवासियान कुम्हार खेडा तहसील डूंगला जिला चित्तोडगढ

अपीलांटस

बनाम

1—श्रीमति लच्छू बाई पुत्री श्री पृथ्वीराज जाति ब्राहमण
निवासियान कुम्हार खेडा तहसील डूंगला जिला चित्तोडगढ

वादिया/रेस्पोडेंट

समस्त निवासीयान ग्राम गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ
5—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला जिला चितैडगढ

रेस्पोडेंट

खण्ड—पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री पंकज नरुका, सदस्य

उपस्थित :
(1) श्री पूर्णाशंकर दशोरा अभिभाषक अपीलांटस
(2) श्री अशोक नाथ अभिभाषक रेस्पोडेंट

...

**निर्णय**

दिनांकः 25.2.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के सक्षिप्त तथ्यानुसार वादिया/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेंट संख्या 2 राज्य सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर बडी सादडी अन्तर्गत धारा 88—89—188 इस आशय का पेश किया कि ग्राम कुम्हार खेडा में स्व0 खातेदार श्री पृत्वीराज पिता बोडा ब्राहमण निवासी कुम्हार खेडा की खातेदारी व कब्जे काश्त की खाता संख्या 44 किता 20 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा, खाता सं0 62 किता 6 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा तथा खाता संख्या 82 किता 13 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा जो उनकी पैतृक आराजी है। विवादित आराजी में कोई अन्य भागीदार नहीं है ना ही किसी अन्य का कब्जा रहा है। वह स्वयं अपने पिता की इकलोती सन्तान थी। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उनके नाम दर्ज भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादिया प्रथम स्तर की वारिस होने से विरासत से विवादित आराजी वादिया के नाम दर्ज होनी थी, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने समस्त आराजी अपने पुत्रों के नाम कराली। अन्त में निवेदन किया कि यदि प्रतिवादीगण को गोद पुत्र भी मान लिया जाये तो भी वह वाद पत्र की चरण सं0 2 में अंकित भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि प्राप्त करने की

अधिकारी है। अन्त में निवेदन किया कि वादिया को वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे ।

3— दावा प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व0 पृथ्वीराज ने अपने जीवनकाल में समस्त आराजी को प्रतिवादी को बख्शीश कर दिनांक 18.8.77 को प्रतिवादी को कब्जा सुपुर्द कर दिया था, तभी से प्रतिवादीगण काश्त कर रहे हैं। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उसका क्रिया–कर्म प्रतिवादी द्वारा ही किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि पृथ्वीराज के देहान्त के 21 वर्ष बाद वाद पेश किया है जबकि कानूनन पृथ्वीराज के स्वर्गवास के 3 माह के अन्दर वाद पेश किया जाना चाहिए था। अन्त में वाद को निराधार बताते हुए, खारिज करने का निवेदन किया गया।

4— विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वाद एवं जबावदावा के आधार कुल 13 तनकीयात कायम की। तदुपरान्त पक्षकारान से शहादत सबूत लेकर एवं बाद सुनवाई अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.3.2002 के द्वारा वाद को क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर निर्णय पारित कर वादिया का वाद सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाए जाने का निर्णय प्रदान कर दिया। उक्त निर्णय से प्रतिवेदित होकर रेस्पोडेंट/वादिया की ओर से एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.3.2005 के द्वारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.3.2002 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः बख्शीशनामे का परीक्षण करने तथा गोद के बिन्दु के सम्बन्ध में विवाद बिन्दु निर्धारित कर विधिवत निर्णय प्रदान करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड कर दिया । विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से हस्तगत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

5— उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी।

6— अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में वर्णित वाक्यात को दोहराते हुए मुख्य तर्क दिया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में धारा 122 व 123 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों, जिनमें दान किस प्रकार से किया जायेगा, को परिभाषित किया गया है, को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में स्व0 पृथ्वीराज ने दिनांक 18.8.77 को विवादित आराजी रजि0 बख्शीशनामे के आधार पर प्रतिवादीगण को बख्शीश कर दी व कब्जा दे दिया तथा पृथ्वीराज ने कभी चुनौति नहीं दी और ना ही वादिया ने आज दिनांक तक कभी चुनौति दी तथा उक्त रजि0 बख्शीशनामे के आधार पर प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया तथा प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। इसी आधार पर प्रतिवादीगण ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष यह ऐतराज किया था कि उक्त वाद राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है, किन्तु विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अवैधानिक रुप से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड करने में भारी कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनका आगे तर्क है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 122 व 123 का गलत पठन कर निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, क्योंकि सम्पत्ति हस्तारण अधिनियम की धारा 122 के अनुसार दान ग्रहिता की स्वीकृति मौखिक भी हो सकती है तथा मौजूदा मामले में

स्व0 पृथ्वीराज के जीवनकाल में ही विवादित भूमि पर बख्शीशनामे के आधार पर प्रतिवादीगण को दे दिया था व राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित कर दिया गया था। इसलिए धारा 112 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दान की स्वीकृति मौखिक हो गयी थी ।

7— दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांटस का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान प्रथम अपलीय न्यायलय ने इस कानूनी बिन्दु को भी नजर अन्दाज कर दिया है कि वादिया स्वयं अपने वाद में विवादित आराजी पैत्रिक सम्पत्ति मान कर चली आ रही है जिससे स्पष्ट है कि पुत्रियों को पिता की मृत्यु के बाद ही सम्पत्ति में हिस्सा मिलता है क्योंकि पुत्रियॉ कभी भी को—पार्सनर नहीं होती हैं। उनका यह भी कथन है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया कि वादपत्र में स्वयं वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 पन्नालाल को पृथ्वीराज का दत्तक पुत्र बताया है तथा स्वयं ने दत्तक पुत्र मानते हुए 1/2 हिस्से की डिक्री पारित करने का निवेदन किया है। इससे स्पष्ट है कि स्वयं वादिया पन्नालाल को पृथ्वीराज का गोद पुत्र मानती है फिर भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में गोद पुत्र के बिन्दु पर प्रकरण को रिमाण्ड कर कानूनी त्रुटि की है । जबकि दिनांक 14.6.72 को पंजीकृत गोदनामे से पन्नालाल को गोद लिया गया था जो स्वयं सिद्ध था। इसके अलावा विद्वान अपीलीय न्यायालय ने कानूनी तनकी पर भी निर्णय पारित नहीं किया है जबकि उन्हें कानूनी बिन्दु पर सर्वप्रथम निर्णय पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में विद्वान अपीलीय न्यायालय ने सीपीसी के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर अपने में निहित क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया है, जिससे अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर, परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

8— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 की बहस रही है कि वाद एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर कुल 13 तनकीयात कायम की जाकर प्रकरण वास्ते शतादत वादीया नियत किया गया है इसी दरम्यान प्रतिवादी—अपीलांट ने दिनांक 06.02.2002 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कानूनी तनकीयात को प्रथमतः निर्णीत करने का निवेदन किया। प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2002 की नकल वादीया अभिभाषक जी को दी प्रकरण वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नियत हुआ। परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2002 की दिनांक 11.03.2002 को बहस सुनी गई जिसमें न्यायालय को निर्धारित करना था कि निर्मित तनकीयात में से कौन—कौन सी तनकी विधिक है और क्या उनका निस्तारण बिना साक्ष्य लिए किया जा सकता है अथवा नहीं। परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.03.2002 के पेज संख्या 3 में मात्र इतना निर्धारित किया कि कानूनी तनकी 08.09.2010 व 11 है परन्तु उसमें यह निर्धारित नहीं किया कि क्या उक्त तनकीयात 8,9,10 व 11 का निस्तारण बिना साक्ष्य के किया जा सकता है अथवा नहीं। यह कि न्यायालय के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जब यह निर्धारित कर लिया तो उनका विधिक दायित्व था कि वह इस आदेश से वादीया को अवगत कराते क्योंकि अगर वह इससे सहमत नहीं होती तो आगे अपने विधिक उपचार का उपयोग करके इसे चुनौती दे सकती परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं किया जो अविधिक है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक तनकीयों के निर्धारण करने के क्रम में वादिया को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया बल्कि प्रार्थना पत्र पर सुनी बहस को ही आधार बनाकर जो

निर्णय दिया वह प्राकृतिक न्याय के सुनवाई के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 8,9,10 व 11 को कानूनी तनकी मानी तो उनका दायित्व था कि वह तनकीयों को अन्य निर्मित तनकीयों को ध्यान में रखकर निर्णीत करना था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र तनकी संख्या 8 को निर्णित करके दावा खारिज किया जो अविधिक है।

उनका आगे अभिकथन है कि तनकी संख्या 8 में वर्णित बक्षीसनामा का निर्धारण तनकी संख्या 1 पर आधारित था। क्योंकि तनकी संख्या 1 में यह निर्धारित होता कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है, अर्थात स्व0 पृथ्वीराज की स्व अर्जित नहीं है तो क्या स्व0 पृथ्वीराज को अपनी पैतृक सम्पूर्ण भूमि को बक्षीश करने की अधिकारिता थी या नहीं क्योंकि पैतृक भूमि में वादिया का जन्म से अधिकार है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है। उक्त तर्कों के समर्थन में 2020 आरआरटी(2) 998 (सुप्रीम कोर्ट) का अवलोकन कराया। इसके आलवा उन्होंने यह भी कथन किया कि जब क्षेत्राधिकारिता का बिन्दू तथ्यों एवं विधि का मिश्रित बिन्दू हो तो सभी बिन्दूओं को एक साथ निर्णित करना आवश्यक है। तर्कों के समर्थन में 1999 आरबीजे 285, 2009 आरबीजे 82 का अवलोकन कराया । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रारम्भिक तनकीयात को भी बिना साक्ष्य लिये निर्णित नहीं किया जा सकता है। तर्कों के समर्थन में 2007 आरबीजे 691 पैरा नम्बर 21 का उद्धरण पेश किया। उनका तर्क है कि जब तनकी संख्या 8 को देखते हैं तो इनके क्रम में प्रतिवादी के द्वारा असल बक्षीशनामा पेश नहीं किया ना ही उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश की वरन् अस्पष्ट फोटोप्रति पेश की गई है कानूनन ऐसे दस्तावेज को शहादत में नहीं पढा जा सकता है। समर्थन में 1995 आरआरडी 268 को प्रस्तुत किया। उनका आगे तर्क है कि अगर बक्षीशनामा असल या सर्टिफाइड कॉपी के रूप में पेश किया जाता तो भी जब तक उस पर एक्जिबिट मार्क नहीं होता तब तक उसे शहादत में नहीं पढ़ा जा सकता है। एक्जिबिट मार्क के क्रम में साक्ष्य और जिरह के दौर से गुजरना आवश्यक है।

9— यह कि मौजूदा वाद धारा 88,89 और 188 आर.टी. एक्ट के तहत खातेदारी घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा कि डिक्री हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा आरीटी एक्ट 1955 की तृतीय अनुसूची के अनुसार खातेदारी घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार सहायक कलेक्टर को प्रदत्त किया गया है।

All suits and application of the nature specified in the third Schedule shall be Record and determind by a revenue court.

राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त कोई न्यायालय ऐसे वाद या प्रार्थना पत्र को अथवा किसी वाद के उक्त कारण, जिसके संबंध में उक्त किसी वाद या प्रार्थना पत्र द्वारा कोई सहायता प्राप्त की जा सकती हो पर आधारित किसी वाद प्रार्थना पत्र की सुनवाई नहीं करेगा।

धारा 207 का प्रोवीजो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो निम्न प्रकार है।

यदि वाद का कारण ऐसा हो जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती थी तो यह महत्वहीन है कि सिविल न्यायालय से मांगी गई सहायता

उस सहायता से अधिक या तदातिरिक्त है अथवा तदरूप नहीं है। जो राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान की जा सकती है।

10— उनका आगे अभिकथन है कि उपरोक्त वर्णित विधिक प्रावधानों के क्रम में वाद का परीक्षण किया जाता है तो स्पष्ट है कि उसमें बक्षीशनामे बाबत् कहीं कोई कथन नहीं है व बक्षीशनामें को काज साफ एक्शन बनाया है, बक्षीशनामें के संदर्भ में कोई भी किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं मांगा गया है। चूकि वाद की क्षेत्राधिकारिता वाद–पत्र से निर्धारित होती है। उनका आगे कथन है कि माननीय मंडल की खण्डपीठ के द्वारा 2019 आरबीजे 393 में प्रष्ठ संख्या 400 में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा 2012 (2) डब्ल्यूएलसी (राज.) 797 रूकमणी बनाम भोला को रिप्रोड्यूस करते हुऐ पृ.सं. 12 और 2015 (3) डब्ल्यूएलएन 284 (राज.) भोंदूराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पृ.सं. 13 में रिप्रोड्यूस करते हुये निर्णित किया है कि पृ.सं. 14 "उपरोक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतो में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि खातेदारी घोषणा एवं विभाजन मुख्य अनुतोष हैं तथा विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाना अधीनस्थ अनुतोष है।" इसलिए इसी पेज की अंतिम पंक्तियां विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाने का बिन्दु होने के आधार पर राजस्व न्यायालय में संबंधित वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है। बक्षीशनामे के संबंध में अपीलांट अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत 2014 आरआरटी 1194 यहां सुसंगत नहीं है। क्योंकि इसमें दान ग्रहण करने के संबंध में कोई मत प्रतिपादित नहीं किया गया है। धारा 122 टीए एक्ट 188 के अनुसार दान पत्र की वैधता के लिए दान कर्ता की मौजूदगी दान ग्रहण करना संबंधित तथ्य महत्वपूर्ण है। अन्त में उनका यह भी तर्क रहा है कि मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ अपील न्यायालय में अपने निर्णय के पृ.सं. 4 के अंतिम पेज में स्पष्ट वर्णित किया कि धारा 122 के अनुसार दान गृहिता की स्वीकृति दान दाता के जीवन काल में एवं जब तक वह दान देने की क्षमता रखता हो तब आवश्यक है/वादीया के अभिवचनानुसार पृथ्वीराज जन्मांध थे और दान ग्रहीता की स्वीकृति के चलते ही मृत्यु भी हो गई। अपने तर्कों के समर्थन में 1989 आरआरडी 96 (डीबी)1989 आरआरडी 786 (एसबी)2016 आरबीजे 48 (एचसी)2016 आरबीजे 138 (एसबी)2013 आरएलडब्ल्यू (1) आरजे 377 (एचसी) को उद्धरित किया।

11— अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन किया, प्रस्तुत दृष्टांतों का अध्ययन कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया एवं पत्रावली का अध्योपांत अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रकट हुआ है कि विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर कुल 13 तनकियात कायम की गयी एवं पत्रावली को साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया किन्तु साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने से पूर्व ही दिनांक 6.2.2002 को प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि कानूनी तनकी पर सुन कर साक्ष्य से पूर्व निर्णय पारित किया जावे। प्रार्थनापत्र के जबाब व बहस हेतु पत्रावली नियत की गयी किन्तु जबाब प्रस्तुत नहीं हुआ और उक्त प्रार्थनापत्र पर बहस सुनने के स्थान पर आदेशिका दिनांक 19.2.02 में अंकित किया गया कि ''बहस कानूनी तनकी पर सुनी गयी। वास्ते आदेश दिनांक 28.2.02 को पेश हो"। तत्पश्चात आगामी दो पेशियॉ नियत करते हुए सक्षम न्यायालय में वाद को लौटाये जाने के आदेश पारित कर दिये।

12— यहॉ प्रत्यर्थी का यह तर्क माने जाने योग्य है कि न्यायालय द्वारा कानूनी तनकी पर पहले बहस सुने जाने के प्रार्थना पत्र पर न तो कोई सुनवाई की और ना ही निर्णय पारित किया गया बल्कि सीधे ही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर कानूनी तनकी पर बहस सुन कर दिनांक 11.3.02 को प्रकरण को निर्णीत करते हुए राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होना मान कर आदेश पारित किया गया, जबकि प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण की ओर से 4 विधिक तनकी संख्या 8,9,10 व 11 को पहले निर्णीत किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 8 को ही निर्णीत किया जाकर निर्णय में अंकित किया गया कि शेष तनकियों को निर्णीत किये जाने की आवश्यकता नहीं है। जहॉ तक तनकी संख्या 8 का उल्लेख किया जावे तो निम्न प्रकार से है :— '' आया वादिया जब तक पंजीकृत बखशीशनामे को सक्षम न्यायालय से निरस्त न कराये, वाद पत्र पेश करने की अधिकारिणी नहीं है"।

13— यहॉ सर्वप्रथम वादपत्र के अभिवचनों का उल्लेख करना आवश्यक है, वादी ने ग्राम कुम्हारखेडा तहसील डूगला में स्थित अपने पिता पृथ्वीराज की एक मात्र प्राकृतिक संतान होने के आधार पर पिता की सम्पत्ति को पैत्रक सम्पत्ति होना कहते हुए व पन्नालाल प्रतिवादी संख्या एक को दत्तक पुत्र मान कर पिता की आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने हेतु वाद पेश किया गया है और इन्द्राज दुरस्ती की प्रार्थना की गयी है तथा 1/2 हिस्से के बंटवारा किये जाने की इश्तदुआ चाही गयी तथा निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा गया है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों व विधि से सम्बन्धित प्रावधानों के अवलोकन से यह स्थिति सुस्पष्ट है कि खातेदारी की घोषणा से सम्बन्धित वाद को सुनने का एक मात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है ना कि दीवानी न्यायालय को। तनकी संख्या 8 का उपरोक्त रुप से उल्लेख किया जा चुका है जिसमें पंजीकृत बखशीशनामे का उल्लेख है और पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य दौराने विचारण लेखबद्ध नहीं की गयी है। यह भी स्पष्ट है कि ऐसा कोई बखशीशनामा असल दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद भी नहीं है, बल्कि उसकी फोटो प्रति ही सलग्न है। अर्थात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर कायम की गयी तनकी में अंकित दानपत्र को बिना साक्ष्य ही फोटो प्रति के आधार पर साबित मानते हुए और उक्त विवाद्क को केवल विधि का प्रश्न पाकर निर्णय पारित कर दिया है जो कि विधि सम्मत नहीं है। तनकी को देखे जाने से ही स्पष्ट है कि यह केवल मात्र विधि का प्रश्न नहीं होकर विधि व तथ्य दोनों का मिश्रित प्रश्न है। सर्वप्रथम साक्ष्य के आधार पर इस तनकी को भी निर्णीत किये जाने के लिए इस तथ्य को साबित करना आवश्यक था कि ऐसा कोई दस्तावेज अस्तित्व में है और कोई दानपत्र लिखा गया है, जिसके लिए केवल दानपत्र को विधि अनुसार प्रस्तुत कर साक्ष्य में प्रदर्शित कराया जाता और उसके उपरांत ही उसके सम्बन्ध में विधि के बिन्दु पर विचार कर निर्णय पारित किया जाता। किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्क को केवल विधि का प्रश्न मान कर, निर्णीत कर दिया है जो किसी भी प्रकार से सही ठहराये जाने योग्य नहीं है।

14— यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश के माध्यम से प्रथम अपील में धारा 122 व 123 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया है कि विचारण न्यायालय ने

दानपत्र के वैधता का परीक्षण किये बिना ही और गोद के सम्बन्ध में वाद बिन्दु को निर्धारित किये बिना ही निर्णय पारित किया है और इस प्रकार प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये हैं कि बखशीशनामे का परीक्षण करके तथा गोद के सम्बन्ध में वाद बिन्दु निर्धारित कर विधि सम्मत कार्यवाही के उपरान्त निर्णय पारित करें।

15— यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं वादिया प्रतिवादी संख्या एक को दत्तक पुत्र मानते हुए वाद लेकर आयी है, जिससे प्रतिवाद पत्र में भी इंकार नहीं किया है। ऐसे में दत्तक पुत्र के बारे में जब कोई विवाद ही नहीं तब इस पर तनकी बनाने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता है, ऐसे में आलोच्य निर्णय जिसके तहत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किया गया है, उक्त निर्णय भी पूर्णतः स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आलोच्य निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत यह अपील ऑशिक रुप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.3.2002 निरस्त किये जाने योग्य है।

तदानुसार ऑशिक रुप से यह अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय दिनांक 29.3.2005 गोद के सम्बन्ध में वाद बिन्दु निर्धारित किये जाने की हद तक अपास्त करते हुए शेष निर्णय को यथावत रखा जाता है। सहायक कलक्टर बडीसादड़ी के निर्णय दिनांक 11.3.02 को अपास्त किया जाकर उक्त विचारण न्यायालय को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उनके द्वारा कायम की गयी तनकियों पर उभयपक्षों की सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर सभी तनकियों पर पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरुका)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य